भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. NP/1/2018/MLAB1/SETRAN/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांकः **11.09.2018**

सेवा में

महानिदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी),
पंचदीप भवन, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग (सीआईजी),
नई दिल्ली–110002

विषयः डॉ. नुपूर पांगती, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) के स्थानान्तरण के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 20.08.2018 अपराह्न 02:00 बजे ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 20.08.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **15 दिन में** भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. डॉ. नुपूर पांगती, फ्लैट नं. एन–803, अदित्य मैगा सिटी, वैभव खण्ड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.)
2. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. NP/1/2018/MLAB1/SETRAN/RU-III

डॉ. नुपूर पांगती, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) के स्थानान्तरण के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 20.08.2018 अपराह्न 02:00 बजे ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि : 20.08.2018

डॉ. नुपूर पांगती, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 16.04.2018 के संदर्भ में उनके बरेली स्थानान्तरण के मामले में माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने दिनांक 20.08.2018 को ईएसआईसी के साथ बैठक आहूत की जिसमें आयुक्त, ईएसआईसी चर्चा के लिए आयोग में उपस्थित हुए।

आयोग ने सर्वप्रथम डॉ. नुपूर पांगती को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। उन्होंने आयोग को बताया कि उन्होंने ईएसआईसी हॉस्पिटल, नोएडा में दिनांक 02.02.2017 कार्यभार ग्रहण किया था और उन्हें दिनांक 12.03.2018 को ईएसआईसी हॉस्पिटल, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उनकी एक 03 साल की छोटी बच्ची है फिर भी उन्होंने आदेश का पालन करते हुए बच्ची को अपने अभिभावकों के पास छोड़ कर ईएसआईसी हॉस्पिटल, बरेली, उत्तर प्रदेश में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनके पति केंद्र सरकार की सेवा में दिल्ली में पदस्थ हैं और उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता है।

आवेदक ने आयोग को यह भी बताया कि उनके साथ 11 और डॉक्टरों का भी स्थानान्तरण किया गया था जिसमें से 10 आरक्षित वर्ग से एवं एक सामान्य वर्ग से हैं। सामान्य वर्ग की एक महिला डॉक्टर को, जिनका छोटा बच्चा था, कुछ समय बाद दिल्ली वापस स्थानांतरित किया गया है जबकि उसी प्रकार की समस्या के कारण ईएसआईसी प्रबंधन से कई बार अनुरोध किए जाने पर भी उनका वापस स्थानांतरण नहीं किया गया। यह अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ भेदभाव को दर्शाता है एवं उन्होंने यह भी बताया कि ईएसआईसी की कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है।

आयोग ने ईएसआईसी से उपरोक्त प्रकरण पर जानकारी चाही जिसके जवाब में आयुक्त, ईएसआईसी ने आयोग को बताया कि डॉ. नुपुर पांगती के साथ कई और डॉक्टरों का ट्रांसफर किया गया था और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। चूंकि डॉ. पांगती पीजी डिग्री होल्डर एवं स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए उनका ईएसआईसी, बरेली हॉस्पिटल में स्थानान्तरण किया गया है क्योंकि वहां स्त्रीरोग विशेषज्ञा नहीं है। यदि कोई वैकल्पिक स्त्री रोग विशेषज्ञ वहां तैनात की जाएंगी तो ही आवेदिका का स्थानांतरण संभव हो सकेगा। ईएसआईसी के अस्पतालों को चलाने के लिए सभी अस्पतालों में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

डॉक्टरों की तैनाती करनी पड़ती है और इसीलिए आवेदिका का स्थानांतरण बरेली किया गया था।

इसके उत्तर में डॉ. पांगती ने आयोग को बताया कि अब बरेली अस्पताल में एक और स्त्री रोग विशेषज्ञा ने कार्य भार ग्रहण कर लिया है तो उनके स्थानांतरण के मामले में विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया तथा पूछा कि क्या बरेली अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञा आ गई हैं? यदि ऐसा है तो डॉ. पांगती की पारिवारिक परेशानियों को देखते हुए उन्हें सहानुभूति के आधार पर वापस नोएडा स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्थानांतरण आदेश का पालन किया और बरेली में कार्यभार ग्रहण किया। उनकी एक छोटी बच्ची है जिसका देख– भाल करने की आवश्यकता है तथा पति भी केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली में पदस्थ हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के संबंधित कार्यालय ज्ञापन में भी यथा संभव, पति और पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ किए जाने का प्रावधान है तथा इनके मामले में पति का दिल्ली से बाहर स्थानांतरण संभव नहीं है। दूसरे, ईएसआईसी ने सामान्य वर्ग की एक अन्य महिला डॉक्टर का वापस स्थानांतरण किया है जबकि सामान परिस्थितियों में आवेदिका का स्थानांतरण नहीं हो सका है।

आयुक्त, ईएसआईसी ने आयोग को यह आश्वासन दिया कि वह इस मामले की दोबारा समीक्षा करेंगे।

अतः दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और विस्तृत चर्चा के बाद आयोग यह अनुशंसा करता है कि ईएसआईसी, डॉ. नुपूर पांगती को शीघ्रातिशीघ्र वापस नोएडा स्थानांतरित करे और इस संबंध में की गई कार्रवाई से आयोग को 15 दिनों के अंदर अवगत कराए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. NP/1/2018/MLAB1/SETRAN/RU-III

डॉ. नुपूर पांगती, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) के स्थानान्तरण के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 20.08.2018 अपराह्न 02:00 बजे ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
3. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
4. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

ईएसआईसी के अधिकारी

डॉक्टर आर.के. कटारिया, आयुक्त

आवेदक

डॉक्टर नुपूर पांगती